

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2396 / 2023


दिनांक : 19 .08.2023

श्रीमती पूजा बेनीवाल (RJ01364), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं को दिनांक 11.09.2023 से 08.03.2024 तक 180 दिवस का **मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान)** दिनांक 09.09.2023 से 10.09.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सरिता कायथ (RJ01201), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं को श्रीमती पूजा बेनीवाल के उक्त **मातृत्व अवकाश** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा **पदस्थापित/नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. **श्रीमती सरिता कायथ (RJ01201)**, जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूंके अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2 (4)/117/2020/5290

दिनांक: 19.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं को उनके पत्रांक 6261 दिनांक 27.07.2023 के सन्दर्भ में।
3. **श्रीमती पूजा बेनीवाल (RJ01364)**, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं।
5. **श्रीमती सरिता कायथ (RJ01201)**, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार